



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07092026-276020
CG-DL-W-07092026-276020

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, अगस्त 9—अगस्त 15, 2026, शनिवार/ श्रावण 18—श्रावण 24, 1948
No. 12] NEW DELHI, AUGUST 9—AUGUST 15, 2026, SATURDAY/ SHRAVAN 18—SHRAVAN 24, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 85.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07.05.2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(7) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्री अंता आलोक बास्की जो ओडिशा राज्य के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अंता आलोक बास्की को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-05/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री अंता आलोक बास्की को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 03.12.2024 के पत्र सं0 6137/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री अंता आलोक बास्की के द्वारा दिनांक 02.12.2024 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने पत्र सं0 307/Elec. दिनांक 20.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अंता आलोक बास्की ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री अंता आलोक बास्की ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अंता आलोक बास्की अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री अंता आलोक बास्की, स्थान -ओलिडीही, डाकघर-बोडपालसा, थाना-टायरिंग, जिला-मयूरभंज, ओडिशा, पिन - 757046 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-05/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 85.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024/(7)** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **05-Mayurbhanj (ST)** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31.07.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anta Alok Baskey**, a contesting candidate from **05-Mayurbhanj (ST)** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-05/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anta Alok Baskey**, for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anta Alok Baskey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and **WHEREAS**, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **6137/Elec** dated **03.12.2024** informed that the said notice was served to **Sh. Anta Alok Baskey** on **02.12.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **307/Elec** dated **20.03.2026** has reported that **Sh. Anta Alok Baskey**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Anta Alok Baskey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Anta Alok Baskey** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anta Alok Baskey** resident of **At-Olidihi, Po-Bodpalsa, PS-Tiring, Dist-Mayurbhanj, Odisha, PIN-757046**, a contesting candidate from **05-Mayurbhanj (ST)** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-05/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 86.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07.05.2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(7) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्री सुकांत हेम्ब्रम जो ओडिशा राज्य के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुकांत हेम्ब्रम को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-05/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री सुकांत हेम्ब्रम को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 03.12.2024 के पत्र सं0 6137/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री सुकांत हेम्ब्रम के द्वारा दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने पत्र सं0 307/Elec. दिनांक 20.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुकांत हेम्ब्रम ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री सुकांत हेम्ब्रम ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुकांत हेम्ब्रम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 05-मयूरभंज (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सुकांत हेम्ब्रम, स्थान-रेबाना(खा), डाकघर-रेबाना पलासपाल, वाया – भागमुंडा, थाना – दैतारी, जिला – क्यौंझर, पिन – 758080 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-05/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 86.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPs/2024/(7)** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **05-Mayurbhanj (ST)** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31.07.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sukanta Hembram**, a contesting candidate from **05-Mayurbhanj (ST)** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-05/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sukanta Hembram**, for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sukanta Hembram**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **6137/Elec** dated **03.12.2024** informed that the said notice was served to **Sh. Sukanta Hembram** on **22.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **307/Elec** dated **20.03.2026** has reported that **Sh. Sukanta Hembram**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sukanta Hembram**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sukanta Hembram** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sukanta Hembram** resident of **At- Rebana (kha), PO-Rebana Palaspal, Via-Bhagamunda, PS Daitari, Dist-Keonjhar, PIN-758080**, a contesting candidate from **05-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency of General Election to the Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-05/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 87.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **07.05.2024** की अधिसूचना सं0 **464/ईपीएस/2024(7)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **08-जाजपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, जाजपुर की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं0 **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्री मंटू सेठी जो ओडिशा राज्य के **08-जाजपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जाजपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री मंटू सेठी को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/ODISHA/PC-08/2024/CEMS-IV** दिनांक **04.11.2024** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री मंटू सेठी को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जाजपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जाजपुर से दिनांक **19.11.2024** के पत्र सं0 **7012/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री मंटू सेठी के द्वारा दिनांक **13.11.2024** को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जाजपुर ने पत्र सं0 **173/Elec** दिनांक **27.02.2026** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मंटू सेठी ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री मंटू सेठी ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मंटू सेठी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 08-जाजपुर (.जा.अ)संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री मंटू सेठी, स्थान/डाकघर-बैनसिरिया, जिला-जाजपुर इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-08/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 87.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024/(7)** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **08-Jajpur (SC)** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Jajpur, Odisha** report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31.07.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mantu Sethi**, a contesting candidate from **08-Jajpur (SC)** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jajpur**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-08/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mantu Sethi**, for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mantu Sethi**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jajpur** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, **Jajpur** vide his letter no. **7012/Elec** dated **19.11.2024** informed that the said notice was served to **Sh. Mantu Sethi** on **13.11.2024**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jajpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. **173/Elec** dated **27.02.2026** has reported that **Sh. Mantu Sethi**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Mantu Sethi**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under

this Act, and

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Mantu Sethi** has failed to lodge **his** account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mantu Sethi** resident of **AT/PO-Bainsiria, Dist-Jajpur**, a contesting candidate from **08-Jajpur (SC)** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-08/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 88.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **07.05.2024** की अधिसूचना सं**0 464/ईपीएस/2024(7)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **16-जगतसिंहपुर (अ.जा.) संसदीय** निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, जगतसिंहपुर की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं**0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्री शंकर दास जो ओडिशा राज्य के **16-जगतसिंहपुर (अ.जा.) संसदीय** निर्वाचन क्षेत्र, **2024** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जगतसिंहपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री शंकर दास को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/ODISHA/PC-16/2024/CEMS-IV** दिनांक **04.11.2024** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री शंकर दास को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जगतसिंहपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जगतसिंहपुर से दिनांक **30 नवंबर, 2024** के पत्र सं**0 18564/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री शंकर दास के पुत्र के द्वारा दिनांक **13 नवंबर, 2024** को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जगतसिंहपुर ने पत्र सं0 1109/Elec. दिनांक 12 जनवरी, 2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शंकर दास ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री शंकर दास ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शंकर दास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 16-जगतसिंहपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री शंकर दास, स्थान-बखाराबाद डाकघर-इच्छापुर, थाना- बालीकुडा, जिला-जगतसिंहपुर इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्का का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-16/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 88.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024/(7)** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **16-Jagatsinghpur (SC)** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Jagatsinghpur, Odisha** report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31.07.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sankar Das**, a contesting candidate from **16-Jagatsinghpur (SC)** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jagatsinghpur**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-16/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sankar Das**, for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sankar Das**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jagatsinghpur** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, Jagatsinghpur vide his letter no. **18564/Elec** dated **30.11.2024** informed that the said notice was served to **Sh. Sankar Das** on **13.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Jagatsinghpur in his Supplementary Report, vide its letter no. **1109/Elec** dated **12.01.2026** has reported that **Sh. Sankar Das**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sankar Das**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Sankar Das has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Sankar Das resident of **At- Bakharabad, PO- Ichhapur, PS- Balikuda, Dist- Jagatsinghpur**, a contesting candidate from **16-Jagatsinghpur (SC)** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-16/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 89.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 464/ईपीएस/2024(6) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **14-कटक संसदीय** निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटक की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं0 **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्रीमती शोभा पांडे जो ओडिशा राज्य के **14-कटक संसदीय** निर्वाचन क्षेत्र, **2024** से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहीं हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती शोभा पांडे को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत

नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-14/2024/CEMS-IV दिनांक 04.11.2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती शोभा पांडे को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी कटक को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटक से दिनांक 14.02.2025 के पत्र सं0 566/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती शोभा पांडे के पुत्र के द्वारा दिनांक 24.01.2025 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटक ने पत्र सं0 3005/Elec. दिनांक 09.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती शोभा पांडे ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्रीमती शोभा पांडे ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती शोभा पांडे अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, 14-कटक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्रीमती शोभा पांडे, स्थान-जूनुषपटाना, डाकघर-कॉलेज स्क्वायर, थाना-मालगोडाउन, जिला-कटक, पिन-753003 (ओडिशा) इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/OD/PC-14/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 89.— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Odisha, 2024 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024/(6) dated 29.04.2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **14-Cuttack** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Cuttack**, Odisha report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31.07.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sobha Pandey**, a contesting candidate from **14-Cuttack** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Cuttack**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-14/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Sobha Pandey**, for not lodging of her account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sobha Pandey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Cuttack** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, **Cuttack** vide his letter no. **566/Elec** dated **14.02.2025** informed that the said notice was served to son of **Smt. Sobha Pandey** on **24.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Cuttack** in his Supplementary Report, vide its letter no. **3005/Elec**, dated **09.09.2025** has reported that **Smt. Sobha Pandey**, has not submitted her account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Sobha Pandey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Sobha Pandey** has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Sobha Pandey** resident of **AT-Junushpatna, PO-College Square, PS-Malgodown, Dist-Cuttack PIN-753003**, a contesting candidate from **14- Cuttack** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha** of **Odisha**, **2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-14/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 90.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **29.04.2024** की अधिसूचना सं**0 464/ईपीएस/2024(6)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के 17-पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुरी की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) के द्वारा हुई थी, के अनुसार श्रीमती शोभा पांडे जो ओडिशा राज्य के 17-पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहीं हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुरी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती शोभा पांडे को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-17/2024/CEMS-IV दिनांक 04.11.2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती शोभा पांडे को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी पुरी को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुरी से दिनांक 02.05.2025 के पत्र सं0 420/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती शोभा पांडे के द्वारा दिनांक 25.03.2025 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुरी ने पत्र सं0 444/Elec. दिनांक 13.05.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती शोभा पांडे ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्रीमती शोभा पांडे ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती शोभा पांडे अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024-17-पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्रीमती शोभा पांडे, स्थान-जूनुषपटाना, डाकघर-कॉलेज स्क्वायर, थाना-मालगोडाउन, जिला-कटक, पिन-753003 (ओडिशा) इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/OD/PC-17/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 90.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024/(6)** dated **29.04.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **17-Puri** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Puri**, Odisha report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sobha Pandey**, a contesting candidate from **17-Puri** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Puri**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-17/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Sobha Pandey**, for not lodging of her account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Sobha Pandey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Puri** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, **Puri** vide his letter no. **420/Elec** dated **02.05.2025** informed that the said notice was served to Smt. Sobha Pandey on **25.03.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Puri** in his Supplementary Report, vide its letter no. **444/Elec.** dated **13.05.2025** has reported that **Smt. Sobha Pandey**, has not submitted her account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Sobha Pandey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Sobha Pandey** has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Sobha Pandey** resident of **AT-Junushpatna, PO-College Square, PS-Malgodown, Dist-Cuttack PIN-753003**, a contesting candidate from **17-Puri** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-17/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 91.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं० 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec., दिनांक 07.05.2024 के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के 31-उदला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 07.08.2024 के पत्र सं० EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री बेनुधर मोहपात्रा जो ओडिशा राज्य के 31-उदला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बेनुधर मोहपात्रा को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/OD-LA/31/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री बेनुधर मोहपात्रा को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं० 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 01.02.2025 को श्री बेनुधर मोहपात्रा के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं० 0361/Elec. दिनांक 10.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बेनुधर मोहपात्रा ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इस के अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री बेनुधर मोहपात्रा ने विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बेनुधर मोहपात्रा अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 31-उदला (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री बेनुधर मोहपात्रा निवासी ग्राम – सुदासुदिया, पोस्ट-मिरिगुन्थुना, थाना-कासीपाड़ा, जिला-मयूरभंज, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/31/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 91.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec. dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **31-Udala (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Benudhar Mohapatra**, a contesting candidate from **31-Udala (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/31/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Benudhar Mohapatra** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Benudhar Mohapatra**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to Sh. Benudhar Mohapatra on **01.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Benudhar Mohapatra**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Benudhar Mohapatra**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Benudhar Mohapatra** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Benudhar Mohapatra** resident of **At-Sudasudia, PO-Mirigunthuna, PS-Kaptipada, Dist.-Mayurbhanj**, a contesting candidate from **31-Udala (ST) Assembly Constituency** of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/31/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 92.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं० 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec. दिनांक 07.05.2024 के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के 27-सरसकाना (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 07.08.2024 के पत्र सं० EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री राम कुमार सोरेन जो ओडिशा राज्य के 27-सरसकाना (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राम कुमार सोरेन को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री राम कुमार सोरेन को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं० 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 31.01.2025 को सरपंच एवं वार्ड सदस्य की उपस्थिति में सीमा दीवार पर चस्पा किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं० 0361/Elec. दिनांक 10.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राम कुमार सोरेन ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री राम कुमार सोरेन ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राम कुमार सोरेन अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 27-सरसकाना (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री राम कुमार सोरेन निवासी ग्राम – चटानी, पोस्ट-बाउतीबेड़ा, थाना-बिसोई, जिला-मयूरभंज, ओडिशा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/27/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 92.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **27-Saraskana (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ram Kumar Soren**, a contesting candidate from **27-Saraskana (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ram Kumar Soren** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ram Kumar Soren**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice had been affixed on the boundary wall in the presence of the Sarpanch and Ward Member on **31.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Ram Kumar Soren**, has not submitted his account of election

expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Ram Kumar Soren**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ram Kumar Soren** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ram Kumar Soren** resident of **Vill-Chatani, PO-Bautibeda, PS-Bisoi, Dist-Mayurbhanj, Odisha** a contesting candidate from **27-Saraskana (ST) Assembly Constituency** of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 93.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं0 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec., दिनांक 07.05.2024 के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्यप्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **27-सरसकाना (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 07.08.2024 के पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती बसंती टुडू जो ओडिशा राज्य के **27-सरसकाना (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती बसंती टुडू को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती बसंती टुडू को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी **मयूरभंज** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं0 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती बसंती टुडू के द्वारा दिनांक 01.02.2025 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं0 361/Elec. दिनांक 10.04.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती बसंती टुडू ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्रीमती बसंती टुडू ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती बसंती टुडू अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 27-सरसकाना (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाली अभ्यर्थी श्रीमती बसंती टुडू निवासी ग्राम/पोस्ट-उपरबेड़ा, थाना-रायरंगपुर ग्रामीण, जिला-मयूरभंज, ओडिशा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/OD-LA/27/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 93.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **27-Saraskana (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Basanti Tudu**, a contesting candidate from **27-Saraskana (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Basanti Tudu** for not lodging of her account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Basanti Tudu**, was directed to submit representation in writing to the Commission

explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice was served to Smt. Basanti Tudu on **01.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Smt. Basanti Tudu**, has not submitted her account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Smt. Basanti Tudu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Basanti Tudu** has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Basanti Tudu** resident of **At/ PO –Uparbeda, PS – Rairangpur Rural, Dist-Mayurbhanj, Odisha.** a contesting candidate from **27-Saraskana (ST)** Assembly Constituency of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/27/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 94.— यतः ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं0 **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.**, दिनांक **07.05.2024** के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के **34-मोरादा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, **ओडिशा** से दिनांक **07.08.2024** के पत्र सं0 **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **दिब्रत चन्द्र मोहंता** जो **ओडिशा** राज्य के **34-मोरादा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री **दिब्रत चन्द्र मोहंता** को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV** दिनांक **08.01.2025** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 04.02.2025 को श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं 0361/Elec. दिनांक 10.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता ने विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 34-मोरादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिब्रत चन्द्र मोहंता निवासी ग्राम – तुलसीचौरा, पोस्ट –ताराकोटी, थाना-बेतनोटी, जिला-मयूरभंज, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/34/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 94.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec. dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **34-Morada** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Dibrat Chandra Mohanta**, a contesting candidate from **34-Morada** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Dibrat Chandra Mohanta** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Dibrat Chandra Mohanta**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to **Sh. Dibrat Chandra Mohanta** on **04.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Dibrat Chandra Mohanta**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Dibrat Chandra Mohanta**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Radhakrishna Mohanta** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dibrat Chandra Mohanta** resident of **At/PO- Karamsol, PS-Betnoti, Dist- Mayurbhanj**, a contesting candidate from **34-Morada** Assembly Constituency of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 95.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं0 **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.**, दिनांक **07.05.2024** के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **34-मोरादा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **07.08.2024** के पत्र सं0 **EC-CON-**

COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री राधाकृष्ण मोहंता जो ओडिशा राज्य के 34-मोरादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राधाकृष्ण मोहंता को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री राधाकृष्ण मोहंता को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 06.02.2025 को श्री राधाकृष्ण मोहंता के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं 0361/Elec. दिनांक 10.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राधाकृष्ण मोहंता ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री राधाकृष्ण मोहंता ने विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राधाकृष्ण मोहंता अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 34-मोरादा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री राधाकृष्ण मोहंता निवासी ग्राम/पोस्ट – करमसोल, थाना-बेतनोटी, जिला-मयूरभंज, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/34/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 95.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Odisha, 2024 was held in pursuance of Notification No. 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec. dated 07.05.2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **34-Morada** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Radhakrishna Mohanta**, a contesting candidate from **34-Morada** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Radhakrishna Mohanta** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Radhakrishna Mohanta**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to **Sh. Radhakrishna Mohanta** on **07.08.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Radhakrishna Mohanta**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Radhakrishna Mohanta**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Radhakrishna Mohanta** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Radhakrishna Mohanta** resident of **At/PO- Karamsol, PS-Betnoti, Dist- Mayurbhanj**, a contesting candidate from **34-Morada** Assembly Constituency of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/34/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 96.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं० **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.**, दिनांक **07.05.2024** के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **04.06.2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **04.07.2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **07.08.2024** के पत्र सं0 **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **अन्ता आलोक बास्के** जो ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री **अन्ता आलोक बास्के** को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV** दिनांक **08.01.2025** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री **अन्ता आलोक बास्के** को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** से दिनांक **21.02.2025** के पत्र सं0 **176/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक **30.01.2025** को श्री **अन्ता आलोक बास्के** की चाची (रूपी टुडू) के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** ने अपने पत्र सं **0361/Elec.** दिनांक **10.04.2026** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **अन्ता आलोक बास्के** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री **अन्ता आलोक बास्के** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **अन्ता आलोक बास्के** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री **अन्ता आलोक बास्के** निवासी **ग्राम-ओलिडीही, पोस्ट-बड़पलसा, थाना-तिरिंग, जिला-मयूरभंज, ओडिशा- 757046**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/28/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 96.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anta Alok Baskey**, a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Anta Alok Baskey** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Anta Alok Baskey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to Aunt (Rupi Tudu) of **Sh. Anta Alok Baskey** on **30.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Anta Alok Baskey**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Anta Alok Baskey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Anta Alok Baskey** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anta Alok Baskey** resident of **At- Olidihi, P.O.- Bodpalsa, P.S.- Tiring, Dist- Mayurbhanj, Odisha-757046** a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 97.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं0 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec., दिनांक 07.05.2024 के अनुसरण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 07.08.2024 के पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री सलखु लेम्भा माझी जो ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सलखु लेम्भा माझी को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री सलखु लेम्भा माझी को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं0 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 30.01.2025 को श्री सलखु लेम्भा माझी के भाई (गोबरधन हेम्बरम) के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मयूरभंज ने अपने पत्र सं 0361/Elec. दिनांक 10.04.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सलखु लेम्भा माझी ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इस के अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री सलखु लेम्भा माझी ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सलखु लेम्भा माझी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 28-राइरंगपुर (.जा.ज.अ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सलखु लेम्भा माझी निवासी ग्राम-रुतुघुट्ट, डाकघर-भीतरामदा, वाया-बहालदा रोड, थाना-तिरिंग, जिला-मयूरभंज, ओडिशा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/28/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 97.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. **8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec.** dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Salkhu Lembha Majhi**, a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Salkhu Lembha Majhi** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Salkhu Lembha Majhi**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to Brother (Gobardhan Hembram) of **Sh. Salkhu Lembha Majhi** on **30.01.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Salkhu Lembha Majhi**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Salkhu Lembha Majhi**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Salkhu Lembha Majhi** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Salkhu Lembha Majhi** resident of **Vill- Rutughutu, P.O.- Bhitaramda, Via- Bahalda Road, P.S.- Tiring, Dist- Mayurbhanj**, a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST) Assembly Constituency** of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

आ.अ. 98.— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024, अधिसूचना सं० 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec., दिनांक 07.05.2024 के अनुसारण में आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04.07.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 07.08.2024 के पत्र सं० EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.) के द्वारा प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** जो ओडिशा राज्य के **28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** से दिनांक 21.02.2025 के पत्र सं० 176/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 01.02.2025 को श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** के द्वारा प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मयूरभंज** ने अपने पत्र सं 0361/Elec. दिनांक 10.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और इस के अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत श्री **सुनाराम हेम्ब्रम** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुनाराम हेम्ब्रम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उन के पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ;और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 28-राइरंगपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सुनाराम हेम्ब्रम निवासी ग्राम/पोस्ट-उपरबेड़ा, थाना-रायरंगपुर, जिला-मयूरभंज, ओडिशा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD-LA/28/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

O.N. 98.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of **Odisha, 2024** was held in pursuance of Notification No. 8209-EC-CON-COE-0080/2024-/Elec. dated **07.05.2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **04.06.2024** and hence the last date for lodging the account of election expenses was **04.07.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Mayurbhanj, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide its letter no. **EC-CON-COE-0103-2024-12892 (Elec.)** dated **07.08.2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sunaram Hembram**, a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST)** Assembly Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Mayurbhanj**, a Show-Cause notice No. **76/OD-LA/28/2024/CEMS-IV**, dated **08.01.2025** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sunaram Hembram** for not lodging of his account of election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sunaram Hembram**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mayurbhanj** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Mayurbhanj** vide his letter no. **176/Elec** dated **21.02.2025** informed that the said notice Notice was served to **Sh. Sunaram Hembram** on **01.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mayurbhanj** in his Supplementary Report, vide its letter no. **361/Elec.** dated **10.04.2026** has reported that **Sh. Sunaram Hembram**, has not submitted his account of election expenses and further, after receipt of the said notice, **Sh. Sunaram Hembram**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sunaram Hembram** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sunaram Hembram** resident of **At/PO- Uparbada, P.S.- Rairangpur, Dist- Mayurbhanj, Odisha**, a contesting candidate from **28-Rairangpur (ST) Assembly Constituency** of General Election to the **Legislative Assembly of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD-LA/28/2024-LA/28/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 99.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **29 अप्रैल, 2024** की अधिसूचना सं**0464/ईपीएस/2024(6)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के **03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **4 जून, 2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **4 जुलाई, 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं**0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री लक्ष्मण कुमार भोई जो ओडिशा राज्य के **03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री लक्ष्मण कुमार भोई को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV** दिनांक **04 नवंबर, 2024** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री लक्ष्मण कुमार भोई को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सम्बलपुर** से दिनांक **17 फरवरी, 2025** के पत्र सं0 **2990/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री लक्ष्मण कुमार भोई** की पत्नी के द्वारा दिनांक **14 नवंबर, 2024** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सम्बलपुर** ने पत्र सं0 **2990/Elec**. दिनांक **17 फरवरी, 2025** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री लक्ष्मण कुमार भोई** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, **श्री लक्ष्मण कुमार भोई** द्वारा दिनांक **04.12.2024** को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया। अपनी रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न कर पाने के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए कारणों के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, **श्री लक्ष्मण कुमार भोई** द्वारा निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री लक्ष्मण कुमार भोई** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, **2024** के **03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी **श्री लक्ष्मण कुमार भोई, एनएच-6, धारसारोड, सरला, डाकघर- धनकौड़ा, जिला-संबलपुर, 768006** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के कि सी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-03/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 99.— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EP/2024/(6) dated 29th April, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Sambalpur, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sambalpur**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Laxman Kumar Bhoi** for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Sambalpur** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Sambalpur** vide his letter no. **2990/Elec** dated **17.02.2025** informed that the said notice was served to his wife on **14.11.2024**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sambalpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. **2990/Elec**, dated **17.02.2025** has reported that **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, submitted a representation dated **04.12.2024**, regarding which a letter was sent by the Commission for comments from the District Election Officer. In his report the DEO stated that the reasons submitted by the candidate about his inability to submit his accounts of election expenses are without any supporting document. Therefore, necessary action may be taken as per provisions under the R.P. Act, 1951. Additionally, **Sh. Laxman Kumar Bhoi** has not submitted any account of expenses; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Laxman Kumar Bhoi** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Laxman Kumar Bhoi** resident of **NH-6, Dharsa Road, Sarla, PO- Dhankauda, Dist- Sambalpur- 768006**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha , 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-03/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 100.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **29 अप्रैल, 2024** की अधिसूचना सं**0464/ईपीएस/2024(6)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के **03-सम्बलपुर संसदीय** निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **4 जून, 2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **4 जुलाई, 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं0 **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री लक्ष्मण कुमार भोई जो ओडिशा राज्य के **03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री लक्ष्मण कुमार भोई को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV** दिनांक **04 नवंबर, 2024** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री लक्ष्मण कुमार भोई को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर से दिनांक **17 फरवरी, 2025** के पत्र सं0 **2990/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री लक्ष्मण कुमार भोई की पत्नी के द्वारा दिनांक **14 नवंबर, 2024** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर ने पत्र सं0 **2990/Elec** दिनांक **17 फरवरी, 2025** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लक्ष्मण कुमार भोई ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री लक्ष्मण कुमार भोई द्वारा दिनांक **04.12.2024** को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया। अपनी रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न कर पाने के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए कारणों के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, श्री लक्ष्मण कुमार भोई द्वारा निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लक्ष्मण कुमार भोई अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, **2024** के **03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री लक्ष्मण कुमार भोई, एनएच-6, धारसारोड, सरला, डाकघर- धनकौड़ा, जिला-सम्बलपुर, **768006** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के कि सी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-03/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 100.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024/(6) dated 29th April, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Sambalpur, Odisha** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sambalpur**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Laxman Kumar Bhoi** for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Sambalpur** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, **District Election Officer, Sambalpur** vide his letter no. **2990/Elec** dated **17.02.2025** informed that the said notice was served to his wife on **14.11.2024**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sambalpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. **2990/Elec.** dated **17.02.2025** has reported that **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Laxman Kumar Bhoi**, submitted a representation dated **04.12.2024**, regarding which a letter was sent by the Commission for comments from the District Election Officer. In his report the DEO stated that the reasons submitted by the candidate about his inability to submit his accounts of election expenses are without any supporting document. Therefore, necessary action may be taken as per provisions under the R.P. Act, 1951. Additionally, **Sh. Laxman Kumar Bhoi** has not submitted any account of expenses; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Laxman Kumar Bhoi** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Laxman Kumar Bhoi** resident of **NH-6, Dharsa Road, Sarla, PO- Dhankauda, Dist- Sambalpur- 768006**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha , 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-03/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 101.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं0464/ईपीएस/2024(6) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के 04-क्योन्झर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योन्झर की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री पिताबासा नाईक जो ओडिशा राज्य के 04-क्योन्झर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री पिताबासा नाईक को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-04/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री पिताबासा नाईक को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योन्झर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योन्झर से दिनांक 22 नवंबर, 2024 के पत्र सं0 4345/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री पिताबासा नाईक के द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योन्झर ने पत्र सं0 216/Elec. दिनांक 6 मार्च, 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री पिताबासा नाईक ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री पिताबासा नाईक ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री पिताबासा नाईक अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 04-क्योन्झर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री पिताबासा नाईक, स्थान/ डाकघर-चमकपुर, थाना-चम्पुआ, जिला-क्योन्झर इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-04/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 101.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024/(6) dated 29th April, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **04-Keonjhar (ST) Parliamentary Constituency of Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Keonjhar**, Odisha report dated **09.07.2025** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pitabasa Naik**, a contesting candidate from **04-Keonjhar (ST) Parliamentary Constituency of Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Keonjhar**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-04/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pitabasa Naik**, for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Pitabasa Naik**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Keonjhar** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Keonjhar** vide his letter no. **4345/Elec** dated **22.11.2024** informed that the said notice was served to his son on **20.11.2025**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Keonjhar** in his Supplementary Report, vide its letter no. **216/Elec.** dated **06.03.2025** has reported that **Sh. Pitabasa Naik**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Pitabasa Naik**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that: -

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pitabasa Naik** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pitabasa Naik** resident of **At/PO-Chamakpur PS-Champua, Dist.-Keonjhar**, a contesting candidate from **04-Keonjhar (ST) Parliamentary Constituency of General Election to**

the Lok Sabha of Odisha, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-04/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 102.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं0464/ईपीएस/2024(4) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के 20- बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 3 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, गंजम की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री राजेंद्र डाला बेहेरा ओडिशा राज्य के 20- बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राजेंद्र डाला बेहेरा को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-20/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री राजेंद्र डालाबेहेरा को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, गंजम को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गंजम से दिनांक 15 मई, 2025 के पत्र सं0 366/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री राजेंद्र डाला बेहेरा के द्वारा दिनांक 8 मई, 2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गंजम ने पत्र सं0 676/Elec. दिनांक 9 सितंबर, 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेंद्र डालाबेहेरा ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री राजेंद्र डाला बेहेरा ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेंद्र डाला बेहेरा अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 20- बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री राजेंद्र डाला बेहेरा, स्थान/डाकघर- कुकुदाखंडी, गंजम, ओडिशा, पिन-761100 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-20/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 102.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024/(4) dated 18th April, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **20-Berhampur** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **3rd July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Ganjam**, Odisha report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajendra Dalabehera**, a contesting candidate from **20-Berhampur** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Ganjam**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-20/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rajendra Dalabehera**, for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Rajendra Dalabehera**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Ganjam** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Ganjam** vide his letter no. **366/Elec** dated **15.05.2025** informed that the said notice was served to **Sh. Rajendra Dalabehera** on **08.05.2025**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Ganjam** in his Supplementary Report, vide its letter no. **676/Elec.** dated **09.09.2025** has reported that **Sh. Rajendra Dalabehera**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Rajendra Dalabehera**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published*

in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rajendra Dalabehera** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajendra Dalabehera** resident of **At/Po Kukudakhundi, Ganjam, Odisha, Pin-761100**, a contesting candidate from **20-Berhampur** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-20/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 103.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक **07 मई, 2024** की अधिसूचना सं**0464/ईपीएस/2024(7)** के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के **15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के साधारण निर्वाचन, **2024** का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक **4 जून, 2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **4 जुलाई, 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक **31.07.2024** पत्र सं**0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्रीमती सुप्रवा दास जो ओडिशा राज्य के **15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024** से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती सुप्रवा दास को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/ODISHA/PC-15/2024/CEMS-IV** दिनांक **04 नवंबर, 2024** जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्रीमती सुप्रवा दास को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा से दिनांक **03 अप्रैल, 2025** के पत्र सं**0 98/Elec** के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्रीमती सुप्रवा दास के द्वारा दिनांक **24 फरवरी, 2025** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा ने पत्र सं० 122/Elec. दिनांक 2 मई, 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती सुप्रवा दास ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्रीमती सुप्रवा दास ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती सुप्रवा दास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्रीमती सुप्रवा दास स्थान-धनियापाड़ा, डाकघर-बतीरा, थाना-मार्शघई, जिला केन्द्रपाड़ा, पिन-754140 (ओडिशा) इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/OD/PC-15/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 103.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024/(7) dated 07th May, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **15-Kendrapara** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Kendrapara**, Odisha report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Suprava Das**, a contesting candidate from **15-Kendrapara** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge her account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kendrapara**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-15/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Suprava Das**, for not lodging of her account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Suprava Das**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kendrapara** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, Kendrapara vide his letter no. 98/Elec dated 03.04.2025 informed that the said notice was served to Smt. Suprava Das on 24.02.2025, and

WHEREAS, the District Election Officer, Kendrapara in his Supplementary Report, vide its letter no. 122/Elec. dated 02.05.2025 has reported that Smt. Suprava Das, has not submitted her account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Smt. Suprava Das, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Suprava Das has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Suprava Das resident of At- Dhaniapada, Po- Batira, Ps- Marshaghai, Dist- Kendrapara, Pin- 754140 (Odisha), a contesting candidate from 15-Kendrapara Parliamentary Constituency of General Election to the Lok Sabha of Odisha, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-15/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 104.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07 मई, 2024 की अधिसूचना सं0464/ईपीएस/2024(7) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के 15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री श्रीराम पांडे जो ओडिशा राज्य के 15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री श्रीराम पांडे को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-15/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री श्रीराम पांडे को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को

अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा से दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के पत्र सं0 98/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री श्रीराम पांडे के पुत्र के द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रपाड़ा ने पत्र सं0 122/Elec. दिनांक 2 मई, 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्रीराम पांडे ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरांत, श्री श्रीराम पांडे ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्रीराम पांडे अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 15-केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री श्रीराम पांडे स्थान-जूनूपटाना, डाकघर-कॉलेज स्क्वायर, थाना-मालगोडाउन, जिला-कटक, पिन-753003 (ओडिशा) इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/OD/PC-15/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 104.— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPs/2024/(7) dated 07th May, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **15-Kendrapara** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Kendrapara**, Odisha report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sriram Pandey**, a contesting candidate from **15-Kendrapara** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kendrapara**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-15/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sriram Pandey**, for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sriram Pandey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kendrapara** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Kendrapara** vide his letter no. **98/Elec** dated **03.04.2025** informed that the said notice was served to his son on **24.01.2025**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kendrapara** in his Supplementary Report, vide its letter no. **122/Elec.** dated **02.05.2025** has reported that **Sh. Sriram Pandey**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sriram Pandey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sriram Pandey** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sriram Pandey** resident of **At- Junush Patna, PO- College Square, PS- Mal Godown, Dist- Cuttack**, a contesting candidate from **15-Kendrapara** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-15/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.